न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

---

प्र.सं. 109 / 2017
जीसीएमएस : 2017 / 00660

1. सावित्री देवी पत्नी मंशाराम जाति जाट साकिन भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल जिला अनूपगढ़ राज।

—:वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट व 188 आरटीएक्ट</u>

तारीख रजू 18.07.2017

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री अजीत कुमार सुथार अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार ।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक : 12.11.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया के ससुर के दो पत्नियां थी जिनका नाम क्रमश पार्वती देवी व केसर था उक्त दोनों के नाम से वाके चक 44 एनपी के मुरब्बा नं. 27 का पं.नं. 230 / 316 का कि.नं. 1 ता 13 सालम—सालम कुल 13 बीघा व मुरब्बा नं. 44 का पं.नं. 237 / 318 के कि.नं. 1 ता 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 30 बीघा <u>कमाण्ड / अनकमाण्ड</u> भूमि थी। प्रार्थीया की सास पार्वती देवी द्वारा अपनी 15 बीघा भूमि में से मुरब्बा नं. 27 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने पुत्र नत्थु पुत्र सदूराम को जरियें बैय कर दी तथा मुरब्बा नं. 44 के 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने पुत्र दलीप पुत्र सहीराम जरिये बैयनामा हस्तांतरित कर दी जिसका विवरण इंतकाल के अतिरिक्त जमाबंदी सवंत 2014 से 2017 में दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थीया की सास पार्वती देवी द्वारा उक्त दोनों मुरब्बाजात में अपने हिस्से को अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दिया तथा प्रार्थीया की सास केसर द्वारा जरिये रजिस्ट्रड वसीयत दिनांक 09.09.1991 में शेष बची दोनों मुरब्बाजात में 15 बीघा भूमि यानि मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 7 / 2 में 0.127 व 8 ता 13 सालम व मुरब्बा नं. 40 के कि.नं. 1 ता 12 सालम व किला नं. 13 / 1 में 0. 126 है. कुल 15 बीघा भूमि प्रार्थीया को वसीयत की जिसका राजस्व रिकार्ड में विधिवतः हुआ। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम उक्त जमाबन्दी मुरब्बा नं. 27 व मुरब्बा नं. 40 के खाता सं. 72 / 64 में प्रार्थीया का नाम सावित्री देवी पत्नी मंशाराम के साथ पार्वती देवी पत्नी सदूराम का नाम भी राजस्व रिकार्ड में अंकन है जबकि पार्वती देवी पत्नी सदूराम द्वारा अपना समस्त हिस्सा पैरा सं. 2 में वर्णित तथ्य अनुसार हस्तान्तरित कर दिया है चूंकि चक 44 एनपी के मुरब्बा नं. 44 बाद में चक प्लान में मुरब्बा नं. 44 हो गया था। राजस्व रिकार्ड में उक्त पार्वती देवी पत्नी सदूराम का नाम गलत अंकन को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व अभियान कैम्प में आवेदन किया जा चुका है परन्तु आज तक राजस्व रिकार्ड में भूल को दुरूस्त नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है प्रार्थीया को न्यायालय में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करवाने हेतु [illegible] अधिकारी अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 44 एनपी के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

72/64 के मुरब्बा नं. 27 के कि.नं. 7/2 में 0.127 व 8 ता 13 सालम व मुरब्बा नं.40 के कि.नं. 1 ता 12 सालम व कि.नं. 13/1 में 0.126 है. कुल 15 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पार्वती देवी पत्नी सदूराम जाति जाट बहिरसा बराबर को हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। जनाब की अति कृपा होगी।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 राजस्थान सरकार की तरफ से राजपैरोकार गजसिंहपुर ने जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त दावा में बैयनामा पेश नहीं है। उक्त दावा में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः दावा चलने योग्य नहीं है।

3. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./18/4519 दिनांक 31.12.2018 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट जमाबन्दी चक 44 एनपी के खाता सं. 72 में मु.नं. 27 का 1.645 है. नहरी व मु.न. 40 का 2.150 है. नहरी/खाला कुल 3.795 है. नहरी /खाला रकबा सावित्री देवी पत्नी मंशाराम पार्वती देवी पत्नी सदूराम जाति जाट ब.हि.ब. सा. भोमपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। वर्तमान में उपरोक्त रकबा पर एस.डी.एम. रायसिंहनगर व सिविल न्यायालय रायसिंहनगर के स्थगन का नोट अंकित है तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3788 दिनांक 13.08.2024 से पुनः अवगत करवाया है कि मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट जमाबन्दी चक 44 एनपी के पं.नं. 236/316 मु.नं. 27 में 1.645 है. व पं.नं. 237/318 मु.नं. 40 में 2.150 है. कुल 3.795 है. रकबा सावित्री देवी पत्नी मन्साराम व पार्वती देवी पत्नी सदूराम के नाम बहिब दर्ज रिकार्ड है जो इन्तकाल संख्या 49 दिनांक 20.07.1997 किस्म वसीयत द्वारा दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बंदोबस्त से पूर्व के नामान्तकरण चक 44 एनपी ना.सं. 22 व 25 की प्रामणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके विस्तृत अवलोकन से पाया गया कि नामान्तरण संख्या 22 जो ग्राम पंचायत भोमपुरा द्वारा दिनांक 16.08.1960 को स्वीकृत सुघा है, में. मु.नं. 27 में 13 बीघा व मु.नं. 44 में 17 बीघा कुल 30 बीघा मे मु. पारवती व केसर बैवा सदूराम जाट साकिन भोमपुरा बहिब में से पारवती बाया बहक- नथू वल्द सदूराम जाट साकिन भोमपुरा 6-1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है।

4. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

**1. आया कि प्रार्थीया के ससुर सदूराम के दो पत्नीयां पार्वती देवी व केसर के नाम से चक 44 एनपी मु.नं. 27 का पं.नं. 230/316 का कि.नं. 1 ता 13 सालम-सालम कुल 13 बीघा व मु.नं. 44 पं.नं. 237/318 के कि.नं. 1 ता 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि का [illegible] कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि थी।**
**-:जिम्मेवादी**

**2. आया कि पार्वती देवी द्वारा 15 बीघा भूमि में से मु.नं. 27 की 6 बीघा 10 बिस्वा अपने पुत्र नत्थु पुत्र सदूराम को जरिये बैयनामा बैय कर दी तथा मु.नं. 44 के 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने पुत्र दलीप पुत्र सहीराम को जरिये बैयनामा हस्तांतरित कर दी थी [illegible]**
**-:जिम्मेवादी**

**3. पार्वती देवी द्वारा अपने हिस्से को पुत्रों को हस्तांतरित करने के बाद केसर द्वारा जरिए रजिस्ट्रड वसीयत दिनांक 09.09.1991 से मु.नं. 27**

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

के कि.नं. 7/2 में 0.127 व 8 ता 13 सालम व मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 12 सालम व कि.नं. 13/1 में 0.126 है. भूमि प्रार्थीया को वसीयत की थी। —:जिम्मेवादी

4. अनुतोष।

5. वादीया सावित्री देवी द्वारा दिनांक 02.05.2024 को शपथ पत्र जिरह वारते पेश किया गयाा जो शामिल मिसल किया। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

**तनकी संख्या (A) आया कि प्रार्थीया के ससुर सदूराम के दो पत्नीयां पार्वती देवी व केसर के नाम से चक 44 एनपी मु.नं. 27 का पं.नं. 230/316 का कि.नं. 1 ता 13 सालम–सालम कुल 13 बीघा व मु.नं. 44 पं.नं. 237/318 के कि.नं. 1 ता 17 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल 30 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड भूमि थी। —:जिम्मेवादी**

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2014–2017 के अनुसार मु.नं. 27 की 1 ता 13 बीघा व मु. नं. 44 की 1 ता 17 कुल 30 बीघा भूमि नहरी/बारानी पार्वती व केसर बेवा सदूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णिति की जाती है।

**तनकी संख्या (B) आया कि पार्वती देवी द्वारा 15 बीघा भूमि में से मु.नं. 27 की 6 बीघा 10 बिस्वा अपने पुत्र नत्थु पुत्र सदूराम को जरिये बैयनामा बैय कर दी तथा मु.नं. 44 के 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने पुत्र दलीप पुत्र सहीराम को जरिये बैयनामा हस्तांतरित कर दी थी है। —:जिम्मेवादी**

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण सं. 22 के अनुसार पार्वती बेवा सदूराम द्वारा मु.नं. 27 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा नत्थुराम पुत्र सदूराम को हस्तान्तरित कर दी थी तथा नामान्तरण 20 के अनुसार पार्वती द्वारा मु.नं. 44 की 8.10 बीघा भूमि दलीप पुत्र सहीराम को बैय कर दी जिसका नामान्तरण से 25 दर्ज हुआ। इस प्रकार पार्वती द्वारा अपने हिस्से की कुल 15 बीघा नत्थुराम पुत्र सदूराम व दलीप पुत्र सहीराम को जरिये बैयनामा हस्तान्तरित कर दी। अतः यह तनकी बहक वादिया निर्णित की जाती है

**संख्या (C) पार्वती देवी द्वारा अपने हिस्से [illegible] को हस्तांतरित करने के बाद केसर द्वारा जरिए रजिस्ट्रड वसीयत दिनांक 09.09.1991 से मु.नं. 27 के कि.नं. 7/2 में 0.127 व 8 ता 13 सालम व मु.न. 40 के कि.नं. 1 ता 12 सालम व कि.नं. 13/1 में 0.126 है. भूमि प्रार्थीया को वसीयत की थी। —:जिम्मेवादी**

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिया पर था। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार केसरीदेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि दिनांक 09.09. 1991 से जरिये रजिस्ट्रड वसीयत सावित्री देवी पत्नी मन्शाराम के हक में

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

निस्पादित की। केसरीदेवी की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत का नामान्तरण सं. 49 दिनांक 05.12.1996 दर्ज किया जाकर दिनांक 20.01.1997 को स्वीकृत हुआ। अतः यह तनकी बहक वादिया निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या (D) अनुतोष।**

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादिया को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जातीहै।

**—:क्रियात्मक आदेशः—**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली—भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। चक 44 एन.पी. खाता सं. 72/64 मु.नं. 27 के कि.नं. 7/2 की 0.127 है., 8 ता 13 सालम—सालम व मु.नं. 44 हाल मु.नं. 40 पं.नं. 237/318 कुल 3.7950 है. भूमि में से सावित्री देवी पत्नी सदूराम का दर्ज रिकार्ड है। पार्वती द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा नत्थुराम पुत्र सदूराम व दलीप पुत्र सहीराम को जरिये बैयनामा हस्तान्तरित कर दिया था अतः उक्त खाते से पार्वती पत्नी सदूराम का नाम हटाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner